प्रेषक,

मुश्ताक अहमद,
विशेष सचिव,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-**9** लखनऊः दिनांकः **22** अप्रैल, **2019**

विषयः वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान सं0-94 के लेखाशीर्षक-**2711** बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपुर्यक्त विषयक मुख्य अभियन्ता(बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-जी-**29/**आई**0**बी**0/**अनु-**94/2019-20,** दिनांक **05.04.2019** के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष **2019-20** में अनुदान संख्या-**94** सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) राजस्व लेखा के लेखाशीर्षक-**2711** में प्राविधानित बजट व्यवस्था धनराशि रू0 **34527.68** लाख के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि रू0 3,**45,27,68,000**.00 **(**रूपये तीन अरब पैंतालिस करोड़ सत्ताइस लाख अड़सठ हजार मात्र) को आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं ।

वर्ष 2019-20 **हेतु आय-व्ययक की वांछित धनराशि का विवरण**

(धनराशि लाख में)

लेखामद	वित्तीय वर्ष **2019-20** में बजट प्रावधान	वित्तीय वर्ष **2019-20** हेतु मांग
1	2	3
2711-बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास 01-बाढ़ नियंत्रण 103-सिविल निर्माण कार्य 03-सिविल निर्माण कार्य 29-अनुरक्षण	14154.23	14154.23
योग-01:-	**14154.23**	**14154.23**
03-जल निकास 103-सिविल निर्माण कार्य 03-सिविल निर्माण कार्य 29-अनुरक्षण	18853.90	18853.90
04-सोडिक ड्रेनों का अनुरक्षण 29-अनुरक्षण	1519.55	1519.55
योग-03:-	**20373.45**	**20373.45**
योग- 2711 :-	**34527.68**	**34527.68**

(रूपये तीन अरब पैंतालिस करोड़ सत्ताईस लाख अड़सठ हजार मात्र)

---2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- प्रमुख अभियन्ता सिंचाई एवं विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्त वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत व्यय की नई मदें सम्मिलित न हों। निर्गत वित्तीय स्वीकृति मात्र चालू नहर प्रणालियों/नालों/बंधों की परियोजनाओं हेतु है। उपरोक्तानुसार प्रस्तर-**1** में प्रस्तावित धनराशि प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष**,** सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के निवर्तन पर व्यय करने हेतु निम्न शर्तों के अनुसार रखी जाती हैः-

(1) प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा उपरोक्त निर्गत धनराशि सम्बन्धित मुख्य अभियन्तागणों की अनुसंशा पर सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को धनराशि सीधे आवंटित की जाएगी। उक्त आंवटित की गयी धनराशि की सूचना दस दिन के अन्दर शासन को उपलब्ध करायी जाएगी।

(2) उक्त धनराशि व्यय करते समय यह सुनिश्चित किया जाय कि कार्य से पहले एवं कार्य के बाद के फोटोग्राफ्स सुरक्षित रखे जायेंगे एवं भुगतान से पहले प्रत्येक कार्य का सत्यापन सुनिश्चित किया जायेगा। धनराशि रू0 5.00 लाख की लागत से ऊपर के कार्यों की ड्रोन द्वारा कार्य से पहले एवं कार्य के बाद वीडियोग्राफी कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(3) उक्त धनराशि को व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-**1** के कार्यालय ज्ञाप संख्या- शासनादेश संख्या-**1/2019/**बी-**1-170/**दस-**2019-231/2019,** दिनांक 22**.03.2019** में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जाय।

(4) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का एक मुश्त बजट आवंटन न किया जाय**,** आवश्यकतानुसार बजट का आवंटन त्रैमासवार 2711-बाढ़ अनुरक्षण मद में क्रमश: 40:30:20:10 एवं 2711-जलोत्सारण मद में क्रमश: 25:15:40:20 प्रतिशत की किश्तों में सुनिश्चित किया जाय। यदि इसमें किसी प्रकार के विचलन की आवश्यकता हो**,** तो प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया जाय।

(5) अनुदान के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-वी-**1-1195/**दस-**16/94,** दिनांक **6** जून**, 1994** द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(6) उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-**88** के अनुसार नियंत्रक अधिकारी/विभागाध्यक्ष इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाये। इसलिए नियंत्रक अधिकारी तथा विभागाध्यक्ष के स्तर पर भी वित्तीय स्वीकृतियों के समक्ष व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये और यदि किसी विनियोग की प्राथमिक इकाई के अधीन आनुपातिक आधार पर व्यय में किसी बड़े अन्तर होने की सम्भावना मालूम पड़े**,** तो उसे तत्काल शासन/वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाये।

(7) शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है**,** अतः व्यय करते समय व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ**0**प्र**0** बजट मैनुअल के प्रस्तर-**12** में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

3- उक्त वित्तीय स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-**1** के कार्यालय ज्ञाप संख्या-**1/2019/**बी-**1-170/**दस-**2019-231/2019,** दिनांक 22**.03.2019** द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत की जा रही है।

भवदीय,
मुश्ताक अहमद
विशेष सचिव।

--3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-**57/2019/972(1)/19-27-**सिं-**9-42**एसएवी/**19** तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. निदेषक, कोषागार, लखनऊ।
4. प्रमुख अभियन्ता(परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-**8**/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-**1**।
8. सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग- **2**
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
राम नारायण त्रिपाठी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।